भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2606

16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: मोटे अनाज का उत्पादन और खरीद

2606. श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोरापुट और रायगढ़ में बाजरा (विशेषकर रागी) और कॉफी के फसल क्षेत्र, उत्पादन और खरीद का ब्लॉक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पहाड़ी/जनजातीय ग्राम पंचायतों में स्वीकृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), सूक्ष्म सिंचाई, पनधारा कार्यों और सौर ऊर्जा चालित/लिफ्ट आधारित सिंचाई की स्थिति क्या है और उन्हें पूर्ण किए जाने की समयावधि क्या है; और

(ग) एकत्रीकरण, प्राथमिक प्रसंस्करण, बाजार संपर्क के लिए प्रदान की गई किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/किसान हितधारक समूह (एफआईजी) संबंधी सहायता का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2025-26 के लिए उनके क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान कोरापुट और रायगड में रागी के क्षेत्र और उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24	
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उत्पादन (एमटी)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उत्पादन (एमटी)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उत्पादन (एमटी)
कोरापुट	29030.00	25105.20	18649.00	18681.60	27238.33	29018.32
रायगड	9640.00	7860.20	5530.00	4267.3 0	11872.78	9492.4

स्रोत: डीएएंडएफडब्ल्यू

कोरापुट और रायगढ़ में पिछले तीन वर्षों के दौरान कॉफी के क्षेत्र और उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25	
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उत्पादन (एमटी)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उत्पादन (एमटी)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उत्पादन (एमटी)
कोरापुट	3583.68	329	3907.68	349	4186.8	355
रायगड	655.64	72	677.14	77	747.14	77

स्रोत: वाणिज्य विभाग

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 के दौरान ओडिशा राज्य से 40,000 मीट्रिक टन रागी की खरीद की गई।

(ख): वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की गई, जिसका उद्देश्य खेतों में पानी की वास्तविक उपलब्धता बढ़ाना, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार, सतत जल संरक्षण पद्धतियों को कार्यान्वित करना आदि था। पीएमकेएसवाई एक व्यापक योजना है, जिसमें दो प्रमुख घटक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर

खेत को पानी (एचकेकेपी) शामिल हैं, जिन्हें इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है अर्थात् भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के पीएमकेएसवाई कार्यान्वयन को अनुमोदित किया गया।

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत 34.64 हेक्टेयर की शेष सिंचाई क्षमता वाली 99 (99) चालू प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (एमएमआई) (और 7 चरण) को शामिल किया गया है। 5.94 लाख हेक्टेयर की अंतिम सिंचाई क्षमता वाली 13 नई सिंचाई परियोजनाओं को पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत अर्थात मार्च, 2021 के बाद शामिल किया गया है।

वर्तमान में, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 70 प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अप्रैल, 2016 से 29.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन/पुनर्स्थापन हुआ है, साथ ही 22.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का कमांड क्षेत्र विकास भी हुआ है। इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई के 'हर खेत को पानी' घटक के सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और मरम्मत, नवीनीकरण पुनर्स्थापन (आरआरआर) उप-घटकों के अंतर्गत, वर्ष 2016-17 से 5.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन/पुनर्स्थापन हुआ है।

(ग): किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मजबूत करने के लिए चल रही गतिविधियाँ और एकत्रीकरण, प्राथमिक प्रसंस्करण और बाजार संबंधों के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता निम्नलिखित प्रकार हैं:

- **एकत्रीकरण:**
  - किसान सदस्यों की उपज के छोटे-छोटे लॉट को एकत्रिकरण करने और उन्हें मूल्य संवर्धन करके विपणन योग्य बनाने के लिए मूल्यवर्धन करने हेतु एफपीओ का गठन किया गया है।
  - एकत्रित उत्पादों का विपणन बेहतर सौदेबाजी क्षमता के साथ खरीदारों तक पहुंचाने तथा विपणन चैनल में बेहतर और अधिक लाभकारी कीमतें दिलाने के लिए एफपीओ का गठन किया गया है।
- **प्राथमिक प्रसंस्करण**:
  - 10,000 एफपीओ योजना के तहत, एफपीओ को उनके व्यवसाय को दीर्घकालिक रूप से चलाने के लिए आवश्यक प्रसंस्करण अवसंरचना स्थापित करने में सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत गठित कई एफपीओ अपने सदस्यों के उत्पाद एकत्रित करते हैं और उन्हें एफपीओ द्वारा स्थापित प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों में संसाधित करते हैं। उचित पैकेजिंग और लेबलिंग के बाद, उत्पाद को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बाजार में बेचा जाता है। प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए, एफपीओ को प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपये तक के परियोजना ऋण के रूप में क्रेडिट गारंटी के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। एफपीओ को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) और भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी सहायता दी जा रही है।
- **बाजार संपर्क**:
  - परिवारिक संगठन (एफपीओ) को उनके उत्पादों और सदस्य किसानों की कुल उपज की सीधी बिक्री के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन बाजार संपर्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एफपीओ को विभिन्न एफपीओ मेलों, प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और एक्सपो आदि के माध्यम से अपने उत्पादों के प्रचार और बिक्री में सुविधा प्रदान की जा रही है। एफपीओ को ई-नाम, ओएनडीसी, जेम आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों पर पंजीकृत होने की सुविधा भी दी जा रही है। दिनांक 30.11.2025 तक, 4660 एफपीओ ई-नाम पर और 5545 ओएनडीसी पर पंजीकृत हो चुके हैं।

****